[24/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 4177]

परिशिष्ट – अ

विधासभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4177

माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि. 20.03.2008

"The Petitioner was not regularly appointed and the appointment was only contract basis for a period of one year. Petitioner under the circumstances does not have any right to hold the post and accordingly I do not find any illegality in the order dated 16.10.96, annexure P/I terminating the services of the petitioner." एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा "MCC 1201/2008 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2008 इस प्रकार है :– "This court has only upheld the order of termination P-1 dated 16.10.96 and thereafter if the contract of the petitioner has been extended then because of the extension of the contract the petitioner, if is continuing in services, then the order passed by this court shall not come in his way.

On the basis of the aforesaid observation. I do not find any reason interfere with the order dated 20.03.2008. In view of the aforesaid, the present petition stands disposed of."

15/3/2022

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट – ब

विधासभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4177

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के तहत आदेश कमांक /डी0पी0ई0पी0 /95/143 सतना, दिनांक 11.09.1995 के द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की अनुशंसा पर श्री रामजी पटनहाँ व अन्य की संविदा नियुक्ति की गई एवं आदेश दिनांक 16.10.1996 के माध्यम से कलेक्टर द्वारा कय में अनियमितता के कारण श्री पटनहाँ की संविदा समाप्त की गई थी। संविदा समाप्ति आदेश के विरुद्ध श्री पटनहाँ द्वारा दायर याचिका डब्ल्यू0पी0नं0 4480/96 से उद्भूत अवमानना प्रकरण कमांक 95/96 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.1999 के अनुकम में पुनः श्री पटनहाँ को आदेश कमांक/डी0पी0ई0पी0/स्था0/99/826 सतना, दिनांक 30.11.99 के द्वारा संविदा नियुक्ति की गई। डब्ल्यू0पी0नं0 4480/96 एवं एम.सी.सी. 1201/2008 में कमशः दिनांक 20.03.2008 एवं 27.06.2008 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। श्री पटनहाँ की उक्त संविदा नियुक्ति के बाद प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर संबंधित का कार्य संतोषजनक होने से शासन द्वारा गठित सक्षम जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की बैठक दिनांक 23.10.2001 व इसके बाद समय–समय पर आयोजित बैठकों में समिति द्वारा लिये गये निर्णय उपरान्त अन्य संविदा कर्मचारियों की भांति श्री पटनहाँ की भी संविदा नियुक्ति में वृद्धि की जाती रही है । अतः नोटशीट प्रस्तुत करने व किसी को दोषी ठहराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

18/3/22

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट– "स"

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 4177 की जानकारी

स्थापना शाखा प्रभारी की जानकारी

कमांक	स्थापना शाखा प्रभारी का नाम	पद	कब से कब तक
1.	श्री एम0एल0पाठक	डी0पी0सी0	05.09.2005 से 3.03.2008
2.	श्री एन0के0सिंह, प्राचार्य डाइट सतना	डी0पी0सी0	03.03.2008 से 11.04.2008
3.	श्री एम0एल0पाठक,	डी0पी0सी0	11.04.2008 से 30.06.2008
4.	श्री नीरव दीक्षित, प्राचार्य डाईट सतना	डी0पी0सी0	01.07.2008 से 11.07.2010

स्थापना शाखा प्रभारी लिपिक की जानकारी

कमांक	स्थापना शाखा प्रभारी लिपिक का नाम	कब से कब तक
1.	श्री विनोद कुमार सोनी, लिपिक,	02.11.1999 से 05.11.2001
2.	श्री राजेश खरे, सहायक ग्रेड–2	06.11.2001 से 20.01.2004
3.	श्री रामजी पटनहाँ, लिपिक	21.01.2004 से 22.08.2020

16/3/22
(डॉ. [illegible] तिवारी)
नियंत्रक
स्थापना
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग